Contents

- ❖ स्कूल कॉम्प्लैक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस और कुशल संसाधन उपलब्धता.....2
  - ➢ स्कूल कॉम्प्लैक्स की अवधारणा.....2
- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में वर्णित स्कूल कॉम्प्लैक्स के गठन एवं संचालन हेतु दिये गए दिशा–निर्देश 4
  - ➢ स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा छोटे स्कूलों का अलगाव समाप्त करना 4
  - ➢ स्कूल कॉम्प्लेक्स की संरचना :.....4
  - ➢ स्कूल कॉम्प्लेक्स का नेतृत्व : 5
  - ➢ स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा स्कूलों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना : 5
  - ➢ स्कूल में आधारभूत सुविधाएँ :.....6
  - ➢ शिक्षक :.....6
  - ➢ सामुदायिक कार्यकर्ता :.....7
  - ➢ सलाहकार/परामर्शदाता (काउन्सलर) :.....7
  - ➢ सांस्थानिक सुविधाओं का समुचित उपयोग :.....8
- ❖ स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देना:.....8
  - ➢ आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का स्कूल कॉम्प्लैक्स के साथ एकीकरण :.....9
  - ➢ व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा का स्कूल कॉम्प्लैक्स के साथ एकीकरण :.....9
- ❖ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे :.....9
- ❖ उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका :.....9
- ❖ स्कूल कॉम्प्लैक्स के द्वारा शिक्षकों के लिए बेहतर सहयोग :.....10
- ❖ शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास : 10
- ❖ शिक्षक सहयोग तंत्र में तालमेल :.....11
- ❖ स्कूल कॉम्प्लैक्स का प्रशासन और प्रबंधन :.....11
- ❖ स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लैक्स के रूप में गठित करना :.....12
- ❖ स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन और रख–रखाव सुनिश्चित करना : 12
- ❖ स्कूल कॉम्प्लैक्स प्रबंधन समिति :.....13
- ❖ स्कूल कॉम्प्लैक्स प्रबंधन :.....13
- ❖ स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा प्रभावी गवर्नेंस :.....14
  - ➢ स्कूल कॉम्प्लैक्स के द्वारा बेहतर गवर्नेंस :.....14
- ❖ योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति को पोषित करना :.....14

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

स्कूल कॉम्प्लैक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस और कुशल संसाधन उपलब्धता

स्कूल कॉम्प्लैक्स की अवधारणा

स्कूल कॉम्प्लैक्स एक अकादमिक इकाई होगी। जिसके द्वारा प्रशासकीय नियंत्रण भी किया जायेगा। इसके अन्तर्गतपर्वतीय क्षेत्रों में 3 से 5 किमी तथा मैदानी क्षेत्रों में 7 से 10 किमी की परिधि में स्थित एक या एक से अधिक माध्यमिक विद्यालयों और उसके नजदीक स्थित आंगनवाड़ी, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 1 से 8 तक संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर एक स्कूल कॉम्प्लैक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। एक स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 15 विद्यालय सम्मिलित होंगे। यदि निर्धारित परिधि के अन्तर्गत एक स्कूल कॉम्प्लेक्स में विद्यालयों की संख्या 15 से अधिक होती है तो वहां पर दूसरा स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जायेगा।

स्कूल कॉम्प्लेक्स के केन्द्रीय विद्यालयको कॉम्प्लैक्स स्कूल के नाम से जाना जायेगा, जिसका चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा।

- राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिसमें उच्चतम कक्षा स्तर यथा कक्षा 10 अथवा कक्षा 12 तक शिक्षण होता हो।उच्चतम कक्षा वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल कॉम्प्लैक्स का नेतृत्व किया जायेगा।
- निर्धारित परिसीमा में कोई माध्यमिक विद्यालय अवस्थित न होने की दशा में उस कॉम्प्लैक्स का नेतृत्व महत्तम कक्षा वाला विद्यालय करेगा।
- जिसमें समुचित भवन, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और उपकरण, कम्प्यूटर लैब, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, आई सी टी से सम्बन्धित सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध हों।
- जो निर्धारित परिधि में स्थित समस्त विद्यालयों से यथासम्भवसमान दूरी पर हो अथवा केन्द्र में स्थित हो।

स्कूल कॉम्प्लैक्स का लक्ष्य स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को परस्पर सहयोग उपलब्ध कराना है,जिससे उनका अलगाव समाप्त हो। बहुत–सी प्रशासनिक, संस्थागत, गवर्नेंस और प्रबंधन सम्बन्धी जिम्मेदारियॉ स्कूल कॉम्प्लैक्स को सौंपने से निम्न संभावनाएं खुलेंगीः

- शिक्षक, संस्था–प्रधान और अन्य सहयोगी स्टाफ के जीवन्त समूहों का विकास।
- स्थानीय स्तर के सभी बच्चों की आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से लेकर कक्षा–12 तक की शिक्षा को एक सूत्र में बांधना।

- पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और उपकरण, कम्प्यूटर लैब, खेल सुविधाएं आदि संसाधनों का साझा उपयोग सम्भव होगा। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता, सलाहकार (काउन्सलर) संगीत, कला, भाषा और शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ शिक्षकों जैसे मानवीय संसाधनों से भी स्कूल कॉम्प्लैक्स के सभी स्कूलों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
- उपकरण, लैब, बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ शिक्षक, विद्यार्थियों और सहायक स्टाफ का एक ऐसा निर्णायक समूह तैयार होगा, जिससे कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित सभी स्कूलों की व्यवस्था का प्रभावी नेतृत्व, गवर्नेंस और प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

स्कूल कॉम्प्लैक्स बनने से और कॉम्प्लैक्स के स्कूलों के बीच संसाधनों के साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे–

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर सहयोग।
- विविध विषयों पर आधारित विद्यार्थी क्लब और बेहतर अकादमिक/खेल/कला/शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन।
- कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा आदि विषयों से सम्बन्धित शिक्षकों के साझे उपयोग से कक्षाओं में इन गतिविधियों का प्रभावी समावेश;
- विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता, शत प्रतिशत नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार तथा एस.सी.एम.सी के माध्यम से प्रभावी और मजबूत गवर्नेंस के साथ हीसामुदायिक सहभागिता और सलाहकारों के माध्यम से निरीक्षण, निगरानीऔर नवाचार।
- स्कूलों, संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, विद्याार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता–पिता, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों के बड़े और जीवंत समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था को समर्थ बनाना।

स्कूल कॉम्प्लैक्स की स्थापना

सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्थापित संकुल संसाधन केन्द्रों को ही स्कूल कॉम्प्लैक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र के सेवित क्षेत्र में आने वाले इण्टर कॉलेज, रा.बा.इ.का. रा.उ.मा.वि, रा.क.उ.मा.वि, जिसमें भी उच्चतम कक्षासंचालित हो, को स्कूल कॉम्प्लैक्स के नेतृत्वकर्ता विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। यदि किसी संकुल में सर्वोच्च कक्षा वाले एक से अधिक विद्यालय हों तो सर्वाधिक संसाधनयुक्त एवं संकुल के सभी विद्यालयों के लिए सर्वसुलभ विद्यालय को नेतृत्वकर्ता विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लैक्स के अन्तर्गत आंगनवाड़ी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय आच्छादित होंगे। नेतृत्वकर्ता विद्यालय (कॉम्प्लैक्स स्कूल)के प्रधानाचार्य स्कूल कॉम्प्लैक्स के प्रधान के रूप में कार्य करेंगें।विकासखण्ड स्तर पर कॉम्प्लैक्स के तहत

आच्छादित विद्यालयों की दूरी एवं भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत खण्ड शिक्षा अधिकारी, इसमें तार्किक मात्राकरण कर सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में वर्णित स्कूल कॉम्प्लैक्स के गठन एवं संचालन हेतु दिये गए दिशा–निर्देश

स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा छोटे स्कूलों का अलगाव समाप्त करना

सार्वजनिकस्कूल कॉम्प्लैक्स–बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों को साथ लाकर एक सांस्थानिक और प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाएगा जिसे स्कूल कॉम्प्लैक्स कहा जाएगा। इसमें भौतिक रूप से स्कूलों का स्थान–परिवर्तन नहीं होगा और अकादमिक एवं प्रशासनिक रूप से स्कूल कॉम्प्लैक्स का भाग होने के बावजूद हर स्कूल का संचालन जारी रहेगा।

स्कूल कॉम्प्लैक्स सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के शैक्षिक प्रशासन की बुनियादी इकाई होगी और इस रूप में ही उसका विकास किया जाएगा।

(1) स्कूल कॉम्प्लैक्स का उपयोग उस अलगाव को समाप्त करने में किया जाएगा जिसमें अलग अलग स्कूलों के शिक्षक आज काम करते हैं। इससे शिक्षकों और संस्था प्रधानों के एक जीवंत समुदाय का निर्माण होगा जो परस्पर सहयोग से अकादमिक और प्रशासनिक मामलों की बेहतरी हेतु कार्य करेंगे।

(2) स्कूल कॉम्प्लैक्स राज्य सरकार के हर स्तर पर प्रशासकों को ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य करने में मददगार होगा क्योंकि स्कूल कॉम्प्लैक्स को एक इकाई माना जायेगा, जिसको संचालन हेतु पर्याप्त स्वायत्तता और स्वतंत्रता उपलब्ध होगी।

(3) हालांकि स्कूल कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित प्रत्येक विद्यालय को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी, तथापि कॉम्प्लेक्स बनने से साझे उपयोग द्वारा सभी विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता बेहतर होगी। उदाहरण के लिए समस्त विषयों और कक्षाओं के शिक्षकों की उपलब्धता, पुस्तकालय के लिए अधिक समुचित पुस्तकें, साधन समृद्ध प्रयोगशालायें, व्यावसायिक शिक्षा और खेल–सुविधाएं विद्यार्थियों को अपने स्कूल कॉम्प्लेक्स में ही उपलब्ध होंगी।

स्कूल कॉम्प्लेक्स की संरचना :

- हर स्कूल कॉम्प्लैक्स एक प्रशासनिक और अकादमिक सम्पन्न इकाई होगी जिसमें बुनियादी स्तर (3 से 8 वर्ष की उम्र) से लेकर कक्षा–12 (18 वर्ष) तक की शिक्षा उपलब्ध होगी।

- स्कूल कॉम्प्लैक्स के अन्तर्गत काम्प्लैक्सस्कूल के रूप में एक माध्यमिक विद्यालय (कक्षा–9 से 12 तक) निर्धारित किया जायेगा तथा काम्प्लैक्सस्कूल से एक निश्चित दूरी पर स्थित पूर्व–प्राथमिक से लेकर कक्षा–12 तक के समस्त राजकीय विद्यालयइस स्कूल कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित होंगे।
- सभी विद्यालयों का चयन उनकी एक–दूसरे से निकटतम दूरी के आधार पर किया जायेगा जिससे तार्किक रूप से उचित भौगोलिक समूह बनें। यदि किसी कारणवश एक कॉम्प्लैक्स में कोई भी माध्यमिक विद्यालय नहीं हो जहाँ माध्यमिक कक्षाओं तक शिक्षण होता हो तो उच्चतम कक्षा वाले विद्यालय को ही कॉम्प्लेक्स स्कूल निर्धारित किया जायेगा।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स हेतु निर्धारित परिधि में स्थित पूर्व प्राथमिक विद्यालय/शाला–पूर्व केन्द्र (प्री–स्कूल)/आंगनबाड़ी, व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र (AEC) आदि भी स्कूल कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित होंगे।
- राज्य सरकारें विद्यालयों के समूह का स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठन जनसंख्या वितरण, सड़क सुविधाओं और दूसरे स्थानीय मानकों को ध्यान में रखकर करेंगी। इसलिए स्कूल कॉम्प्लेक्स के आकार और संरचना में तो विविधता हो सकती है परन्तु इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि ऐसा करने से विद्यार्थियों और उनके परिवारों की स्कूल तक पहुंच, शिक्षकों और संस्था प्रधानों के सहयोग हेतु व्यवस्था और राज्य सरकार के लिए प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित हो।

स्कूल कॉम्प्लेक्स का नेतृत्व :

- स्कूल कॉम्प्लैक्स का प्रधान उच्चतम कक्षा वाले विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा।
- वह प्रशासनिक, वित्तीय और अकादमिक अधिकार सम्पन्न होगा जिससे वह कॉम्प्लैक्स के सभी स्कूलों के समन्वित विकास की देख–रेख कर सके।
- उसे CEO,DEO और BEOस्तर के अधिकारियों का पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग मिलेगा और साथ ही उसे प्रशासकीय, वित्त और लेखा कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी भी उपलब्ध कराये जायेंगे। कॉम्प्लैक्स के दूसरे स्कूलों के मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य उसके निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
- वे मिलकर एक टीम गठित करेंगे जो कॉम्प्लैक्स के प्रत्येक स्कूल में गुणवत्ता सुधार के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर को न्यूनतम करना और सभी बच्चों को कक्षा–12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना शामिल है।

स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा स्कूलों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना :

- राज्य के समस्त स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लैक्स के रूप में विकसित किये जाने पर विभिन्न स्तरीय स्कूलों के मध्य संसाधनों का अभीष्ठ उपयोग किया जा सकेगा। इसमें विषय शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक,

संगीत और कला शिक्षक, सलाहकार और समुदायिक सहभागीजैसे मानव संसाधन तथा प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, स्थानीय शिल्प क्रीड़ा स्थल जैसे भौतिक संसाधन शामिल होंगे।

- स्कूल कॉम्प्लैक्स के स्तर पर ICT उपकरण, संगीत वाद्य–यन्त्र, खेल उपकरण, जैसे संसाधनों को बढ़ाने और बेहतर किये जाने से इन संसाधनों का प्रत्येक बच्चे हेतु सुनियोजित उपयोग किया जायेगा।

स्कूल में आधारभूत सुविधाएँ :

- यथासंभव हर स्कूल को उसके सामान्य संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन पूर्ववत उपलब्ध कराये जाते रहेंगे।
- जो सुविधायें और उपकरण हर स्कूल में देना संभव नहीं होगा, उन्हें कॉम्प्लैक्स स्कूल के स्तर पर साझे उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उदाहरण के लिए, ऑडियो–वीडियो उपकरणों को पोर्टेबल जनरेटर के साथ विभिन्न स्कूलों तक ले जाया जा सकेगा।
- इसी प्रकार कॉम्प्लैक्स स्कूल में एक अच्छी प्रयोगशाला, संगीत वाद्य–यन्त्र, खेल उपकरण सहित खेल का मैदान हो सकता है। जिसका उपयोग स्कूल कॉम्प्लैक्स के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक विद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा। जिसे नियमित रूप से कॉम्प्लैक्स के पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
- कॉम्प्लैक्स स्कूल में एक विकसित पुस्तकालय (Rich Library) की व्यवस्था होगी तथा निकटवर्ती विद्यालयों के बच्चों के द्वारा इस पुस्तकालय का उपयोग किया जाएगा।इस पुस्तकालय को डिजिटल लाइब्ररेरी के रूप में विकसित किया जाएगा तथा चरणवद्ध ढंग से समुदाय के सदस्यों के द्वारा भी उपयोग किया जाएगा।
- काम्प्लैक्सस्कूल के प्रधानाचार्य सभी साझे उपयोग के संसाधनों के प्रभारी होंगे और वे उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
- काम्प्लैक्सप्रधानाचार्य संसाधन विकसित करने हेतु सी.एस.आर., विधायक निधि, पंचायत निधि तथा अन्य वित्तीय संसाधनों हेतु अपने स्तर से प्रयास करेंगे।

शिक्षक :

- कॉम्प्लैक्स के स्कूलों के मध्य शिक्षकों को भी आवश्यकतानुसार साझा किया जाएगा यथा एक विद्यालय में विषय विशेष के शिक्षक को आवश्यकता होने पर अन्य विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु कार्योजित किया जा सकेगा।

- पाठ्यचर्या के अनुसार जिन क्षेत्रों/विषयों में (बच्चों की संख्या को देखते हुए) हर स्कूल में शिक्षक नहीं दिया जा सकता, उनके लिए कॉम्प्लैक्स स्तर पर शिक्षक नियुक्त किये जाएंगे। जिससे उनकी सेवाओं का लाभ काम्प्लैक्स के सभी विद्यालयों को मिल सके। उदाहरण के लिए भाषा शिक्षक, खेल शिक्षक, कला और संगीत शिक्षक, योग शिक्षक, स्कूल नर्स और सलाहकारों को काम्प्लैक्सस्कूल के स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है जिससे कॉम्प्लैक्स के सभी स्कूलों को उनकी सेवाओं का लाभ मिल सके।
- स्कूल कॉम्प्लैक्स की अवधारणा के अन्तर्गत काम्प्लैक्सके किसीस्कूल मेंऐसे शिक्षक की व्यवस्था करना सम्भव होगा जो कॉम्प्लैक्स के स्कूलों में आवश्यकता पड़ने पर स्थायी शिक्षकों के अवकाश के दौरान स्थानापन्न शिक्षक के तौर पर वहां भेजे जा सकें।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स में पाठ्यचर्या के क्षेत्रों/विषयों के आधार पर कॉम्प्लैक्स के सभी स्कूलों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध होंगे।

सामुदायिक कार्यकर्ता :

- स्कूल कॉम्प्लैक्स में उस भौगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों एवं प्रौढ़ शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में सहयोग देने वाले शिक्षित व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा।
- जो नियोजित ढंग से सेवित क्षेत्र में माता–पिता और बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। वे छात्र नामांकन और उपस्थिति हेतु प्रेरित करेंगे, जिससे ड्रॉप आउट कम किया जा सकेगा।
- समुदाय में चिन्हित व्यक्ति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने और उनकी शैक्षिक स्थिति पर ध्यान रखने में शिक्षकों की मदद करेंगे। जिसमें ऐसे बच्चों के परिवारों और समुदाय के साथ जुड़ाव बनाना शामिल है।
- समुदाय में चिन्हित व्यक्ति एस.सी.एम.सी. को प्रभावी बनाने में भी सहायक होंगे।
- स्कूल कॉम्प्लैक्स ऐसे व्यक्तियों को उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हर सम्भव मदद करेंगे।

सलाहकार/परामर्शदाता (काउन्सलर) :

- हालाँकि विद्यार्थियों की देखभाल और खुशहाली में शिक्षकों की केन्द्रीय भूमिका होगी, तथापि हर स्कूल कॉम्प्लैक्स में यथासंभव एक या अधिक सलाहकार उपलब्ध करवाया जाएगा।
- जो निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे :–
  1. माध्यमिक कक्षाओं में विषयों के चयन, इसमें व्यावसायिक विषय, उच्च शिक्षा सम्बन्धी चुनाव और अन्ततः जीविका हेतु पेशे का चुनाव भी शामिल है।
  2. उम्र आधारित विकास के मुद्दों पर विशेषकर किशोरावस्था में सहायता और परामर्श।

3. तनाव और मनोदशा सम्बन्धी विकार समेत मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सहायता और परामर्श।
4. अन्य क्षेत्र जो बच्चों के विकास हेतु आवश्यक हों।

- एक या एक से अधिक कॉम्प्लेक्स के लिए पूर्णकालिक परामर्शदाता नियुक्त किये जा सकते हैं, जो नियमित रूप से स्कूलों में जाएंगे।

सांस्थानिक सुविधाओं का समुचित उपयोग :

- हर स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए एक प्रशासनिक योजना बनाई जायेगी।
- व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा की गतिविधियां भी क्योंकि स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्रियान्वित होंगी इसलिए भौतिक सुविधाओं को स्कूल समय के पश्चात् भी उपयोग में लाया जाएगा। इससे शिक्षक और विद्यार्थियों के नियमित कार्य बिना व्यवधान के जारी रहेंगे।
- पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, शिल्पगृह और खेल के मैदान स्कूल समय के पश्चात इन कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध रखे जाएंगे।
- कक्षा–कक्ष भी स्कूल समय के पश्चात् उपयोग में लाये जा सकेंगे।
- अवकाश के दिनों में कुछ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा भी सांस्थानिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया जायेगा, जैसे शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, सामुदायिक सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर केन्द्रित कार्यक्रमों का आयोजन।
- सुविधाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी और स्थानीय समुदाय स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग हेतु अपने स्तर से योजना तैयार करेंगे।

स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देना:

- स्कूल काम्प्लैक्स की शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा की गयी परिभाषा, जो मूल रूप से छोटे स्कूलों के अलगाव को ख़त्म करने और शैक्षिक उपलब्धियों को बेहतर करने पर केन्द्रित थी, को वर्तमान सन्दर्भ में विस्तृत अर्थ दिया जायेगा। लक्ष्य एक भौगोलिक क्षेत्र में परस्पर सहयोगी और सुसंगत शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का है जिनमें शाला–पूर्व/आंगनवाड़ी, व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, शिक्षक शिक्षा संस्थान और CWSN बच्चों के लिए सहायता उपलब्ध हो।
- ऐसा स्कूल कॉम्प्लैक्स सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिक प्रशासनिक इकाई बन जायेगा।

आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का स्कूल कॉम्प्लैक्स के साथ एकीकरण :

- स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा ECCE पर आवश्यक ध्यान और जोर दिया जायेगा। इसके लिए स्कूल कॉम्प्लैक्स के भौगोलिक क्षेत्र के दायरें में स्थित ECCE के सम्बद्ध सभी सार्वजनिक संस्थाओं को अकादमिक, प्रशासनिक और संसाधन सम्बन्धी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- जिन स्कूलों में पूर्व–प्राथमिक कक्षाएं पूर्व से ही हैं अथवा शुरू होनी हैं वहां ये कक्षाएं स्कूल कॉम्प्लैक्स व्यवस्था के साथ पूरी तरह से एकीकृत करके संचालित की जाएंगी।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच समन्वय को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पहल की जायेगी, राज्य सरकार/सम्बन्धित विभागअपनी समन्वय सम्बन्धी स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन) के जरिये भी ऐसे सहयोग और समन्वय के कार्यक्रमों को औपचारिक रूप देने की दिशा में काम करेगा।

व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा का स्कूल कॉम्प्लैक्स के साथ एकीकरण :

- स्कूल काम्प्लैक्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक आदि संस्थाओं, स्थानीय व्यवसाय (उद्योग, सेवा, कृषि आदि), स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल, कलाकार और कारीगर, और स्थानीय शिल्प और परम्पराओं का हुनर रखने वाले लोगों की साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा के बहुत से पाठ्यक्रम संचालित कर सकता है।
- प्रौढ़ शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएँ भी स्कूल काम्प्लैक्स के साथ जोड़ी जा सकती हैं और कॉम्प्लैक्स द्वारा सेवित पूरे समुदाय को उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे :

- हर स्कूल कॉप्लैक्स ऐसी जरूरी आधारभूत सुविधाएं तैयार करेगा जिससे कॉम्प्लैक्स के सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए उपयुक्त मदद उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा।
- CWSN बच्चों के लिए कॉप्लैक्स के किसी एक स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था होगी।
- इस हेतु आवश्यकतानुसार स्कूल लाने–ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध की जायेगी।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु स्कूल कॉम्प्लैक्स में ''स्पेशल एजुकेटर'' की व्यवस्था की जाएगी।

उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका :

- स्कूलों के समीप स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज और पॉलिटेक्निक अपनी प्रासंगिक क्षमताओं के इस्तेमाल द्वारा अपने पास के स्कूलों की उपलब्धियों के सुधार में योगदान देंगे। विशेषकर माध्यमिक स्कूलों के

लिए– विषयों की विषय–वस्तु और प्रयोगशालाएं, पुस्तकें और खेल के मैदान जैसी भौतिक सुविधाओं के रूप में, यह सहयोग लाभदायक होगा।

- स्कूलों को व्यावसायिक कोर्स चलाने के लिए विशेष योगदान की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए पास के कॉलेज और पॉलिटेक्निक में उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।
- जिले के CEOs, DEOs और BEOsस्कूलों के लिए योजना और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं का सहयोग भी लेंगे।

स्कूल कॉम्प्लैक्स के द्वारा शिक्षकों के लिए बेहतर सहयोग :

- स्कूल कॉम्प्लैक्स के सभी शिक्षक एक सशक्त समुदाय के रूप में मिलकर ज्यादा प्रभावी तरीके से अपने व्यासायिक विकास और स्कूलों के उपलब्धि स्तर को बेहतर करने के लिए काम कर सकेंगे।
- अब जबकि शिक्षक स्कूल कॉम्प्लैक्स के स्तर पर नियुक्त होंगे, उनका आपस में और वहां के समुदाय के साथ स्थायी सम्बन्ध बना पाना संभव होगा।
- स्कूल कॉम्प्लैक्स हेतु नव नियुक्त शिक्षकों को कॉम्प्लैक्स के अनुभवी शिक्षकों का योजनाबद्ध तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास :

- स्कूल कॉम्प्लैक्स की एक मुख्य जिम्मेदारी शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की भी होगी। इस हेतु एक व्यापक शिक्षक विकास योजना (TDP) विकसित की जाएगी जिसमें शिक्षक स्वयं के व्यावसायिक विकास हेतु विविध तरीकों काप्रयोग करेंगे।
- काम्प्लैक्स के सभी शिक्षक एक–दूसरे को सहयोग दे सकें और साझे सीखने के अवसर उपलब्ध हों इस हेतु उन्हें एक समुदाय के रूप में विकसित किया जायेगा।
- परस्पर सहयोग और सीखने हेतु सहकर्मी शिक्षकों के यह सहभागी समूह होंगे जो शैक्षिक आयामों के विकास के लिए परस्पर सहयोग एवं उत्साहवर्धन करते हुए कार्य कर सकेंगे।
- सहभागी शिक्षक समुदाय द्वारा प्रभावी शिक्षक विकसित करने के लिए स्कूल नेतृत्व और अन्य संसाधनों द्वारा सतत प्रयास की आवश्यकता होगी।
- प्रभावी समुदायकैसे तैयार किये जाएँ, इस उद्देश्य से SCERT/SIEMAT/DIETsआदिविशेष कार्यक्रम तैयार करेंगे।
- सिविल सोसाइटी के संगठनों (NGOs) को भी प्रेरित किया जायेगा कि वे ऐसे समुदायों के विकास और संचालन में जुड़े और योगदान दें।

- स्कूल कॉम्प्लैक्स, परस्पर सहभागिता से सीखने वाले शिक्षक समूहों के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं बनाएगा, जैसे कि साप्ताहिक बैठक, शिक्षक अधिगम केन्द्र, आदि।
- इसके अलावा CPD के दूसरे माध्यम भी उपलब्ध कराये जायेंगे, जैसे अर्न्तस्कूल कॉम्प्लैक्स भ्रमण, परिचर्चा एवं साझेदारी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा–शिक्षण के दौरान परामर्श आदि।

शिक्षक सहयोग तंत्र में तालमेल :

- DSE और SCERT द्वाराअकादमिक और शिक्षक सहयोग तंत्र से जुड़े संस्थानों के माध्यम से स्कूल काम्प्लैक्स व्यवस्था से परस्पर सामंजस्य बिठाया जायेगा। इसमें CRCs, BRCs और DIETs शामिल होंगे।
- CRCs को स्कूल कॉम्प्लैक्स के लिए शिक्षक अधिगम केन्द्रों (TLCs) के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- स्कूल कॉम्प्लैकस के नेतृत्व में TLCविकसित की जाएगी जिसमें प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, प्रयोग सम्बन्धी किट और शिक्षण हेतु ऑनलाईन संसाधन आदि हो सकते हैं। जिससे विभिन्न प्रशिक्षण, बैठकें एवं ऑनलाईन कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे।
- CRCs,BRCs और DIETs के कार्य, स्कूल कॉम्प्लैक्स व्यवस्था की ज़रूरतों के मुताबिक, अर्थात कॉम्प्लैक्स के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखते हुए विशेषकर शिक्षक समुदाय के विकास पर, केन्द्रित होंगे।
- इन संस्थानों को अपनी अल्पावधि एवं मध्यावधि योजनाओं में स्कूल कॉम्प्लैक्स विकास योजना (SCDPs)/स्कूल विकास योजना (SDPs) की ज़रूरतों को, जिसमें TLC भी शामिल हैं, शामिल करना होगा और इन्हें पूरा करने में सहयोग देना होगा।
- शिक्षक विकास और अकादमिक सहयोग की योजना स्कूल काम्प्लैक्स, BRCs और CRCs/DIETs परस्पर परामर्श द्वारा तैयार करेंगे।
- DSEऔर SCERT इस प्रक्रिया को सुगम बनाने में पूरा सहयोग करेंगे।
- राज्य द्वारा विभिन्न संस्थानों के बीच तालमेल हेतु एक योजना विकसित की जाएगी और SCERT/DIETs इसमें सुगमकर्ता की भूमिका निभाएगी।

स्कूल कॉम्प्लैक्स का प्रशासन और प्रबंधन :

- स्कूल कॉम्प्लैक्स के गठन द्वारा परस्पर सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक स्कूल का सुचारू प्रशासन और प्रबंधन सुगम किया जायेगा।

- स्कूल कॉम्प्लैक्स में नेतृत्वकर्ता विद्यालय ही अपने सभी स्कूलों की ओर से प्रशासनिक एवं अकादमिक मामलों में विभाग के सीधे संपर्क में होगा।

स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लैक्स के रूप में गठित करना :

- संकुल स्तरीय स्कूल कॉम्प्लैक्स गठित किये जाएंगे जिसमें एक संकुल के अन्तर्गत आने वाले समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्कूल सम्मिलित होंगे।
- हालांकि कॉम्प्लैक्स के आकार में विविधता रहेगी, ऐसा समूहीकरण विद्यार्थियों की स्कूल तक पहुँच, प्रशासकीय सुविधा और शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों के लिए एक सहयोगी व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दृष्टि के लिए किया जायेगा।
- इन विद्यालयों में अधिकतम संसाधन युक्त माध्यमिक विद्यालयों को स्कूल कॉम्प्लैक्स नेतृत्वकर्ता विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
- स्कूल कॉम्प्लैक्स गठन के पश्चात यदि किसी स्कूल की छात्र संख्या मानक से कम होती है तो ऐसी विद्यालयों का निकटवर्ती विद्यालयों में विलीनीकरण किया जाएगा।
- स्कूल कॉम्प्लैक्स के स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की सुरक्षित पहुँच के लिए आवागमन सुविधा (साइकिल, बस और आवश्यकतानुसार अन्य साधन जैसे– स्कॉर्ट सुविधा) आदि उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य सरकार 2023 तक स्कूलों के स्कूल कॉम्प्लैक्स के रूप में गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगी। इस कार्य में पर्याप्त योजना और तैयारी इस बात की करनी होगी कि स्कूल कॉम्प्लैक्स के गठन के पीछे का मूल भाव, जिसके केंद्र में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार हेतु शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए एक सहयोगी व्यवस्था निर्माण करना है, जोकि सभी हितधारकों तक अवश्य पहुँच जाये।

स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन और रख–रखाव सुनिश्चित करना :

- स्कूलों को स्कूल काम्प्लैक्स के रूप में गठित करने के प्रक्रिया में हर स्कूल की मौजूदा आधारभूत सुविधाओं का आंकलन और उनके उन्नयन हेतु एक–बार में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाएगा।
- कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल, बिजली, चाहरदीवारी और दूसरी महत्वपूर्ण सुविधाओं और शैक्षिक संसाधनों की कमी की पहचान कर उनको जल्द से जल्द पूरा किये जाने का प्रयास किया जाएगा।

- तत्पश्चात, DSE द्वारा स्कूल काम्प्लैक्स को समय समय पर आधारभूत सुविधाएं एवं बजट आवश्यकतानुसार उपलब्ध करावाया जायेगा।

स्कूल कॉम्प्लैक्स प्रबंधन समिति :

- हर स्कूल कॉप्लैक्स में एक SCMC होगी जिसमें कॉम्प्लैक्स के प्रत्येक स्कूल का प्रतिनिधित्व होगा, SCMC का नेतृत्व कॉम्प्लैक्स स्कूल का प्रधानाचार्य करेंगे । इसमें कॉम्प्लैक्स के हर स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधाचार्य के अलावा एक शिक्षक, प्रत्येक स्कूल की SMC से एक सदस्य तथा सिविल सोसाइटी का एक सदस्य भी सम्मिलित होगा।
- इसके अतिरिक्त, SCMC में स्कूल कॉम्प्लैक्स से सम्बद्ध सभी दूसरे संस्थानों, जैसे BRCs, CRCs जैसे अकादमिक संस्थानों से भी प्रतिनिधित्व होगा।
- SCMC का कार्य कॉम्प्लैक्स के सभी स्कूलों में अधिगम स्तर में सुधार लाना होगा। इस उद्देश्य के लिए इस समिति के सदस्य महीने में कम से कम एक बार, सदस्यों के लिए सुविधाजनक समय (विशेषकर माता–पिता/सिविल सोसाइटी सदस्य को ध्यान में रखते हुए) के अनुसार बैठक करेंगे।
- इस बैठक में परस्पर विचार–विमर्श द्वारा स्कूल कॉम्प्लैक्स और कॉम्प्लैक्स के सभी स्कूलों की विकास योजनाएँ बनाई जाएंगी और उस दिशा में उठाये गए कदमों की समीक्षा होगी।
- इस बैठक में विभिन्न SMCs के प्रतिनिधि अपनी–अपनी SDMC के सदस्यों द्वारा– उठाये गए मुद्दों/दिए गए सुझावों/दर्ज की गयी शिकायतों को रख सकेंगे और उन पर विचार होगा।
- SCMC विशिष्ट दीर्घावधि उद्देश्यों पर काम करने के लिए छोटी टीमों/समितियों के गठन पर विचार करेगी, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर एकीकरण, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु समुदाय को विकसित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

स्कूल कॉम्प्लैक्स प्रबंधन :

- सहायक कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत,स्कूल कॉम्प्लैक्स की व्यवस्था कायम हो जाने पर DSEद्वारा स्कूल कॉम्प्लैक्स को पर्याप्त संख्या में सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे स्कूल कॉम्प्लैक्स सुचारू रूप से कार्य कर सके। ये कर्मचारी लेखा कार्य, सामान्य प्रशासन जैसे कामों और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, स्वच्छता और रख–रखाव के लिए भी जिम्मदार होंगे। ये सहायक कर्मचारी पर्याप्त संख्या में शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों के अलावा होंगे।
- स्कूल काम्प्लैक्स के प्रधान द्वारा इन सहायक कर्मचारियों और एक से अधिक स्कूलों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों के लिए आवागमन सुविधा अथवा आवागमन भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा।

स्कूल कॉम्प्लैक्स द्वारा प्रभावी गवर्नेंस :

- कॉम्प्लेक्स की SCMC/SMC एवं प्रधानाचार्य को शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण किया जायेगा।
- राज्य सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी का सरलीकरण किया जायेगा जिससे स्कूल कॉम्प्लैक्स एक प्रशासनिक एवं अकादमिक ईकाई के रूप में स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से गुणवत्ता सुधार का प्रयास कर सके।
- राज्य सरकार को जिला शिक्षा समिति (District Education Commettie) नाम से एक जिला–स्तरीय गवर्नेंस इकाई का गठन करना होगा, जो स्कूल कॉम्प्लैक्स और DSE के बीच की इकाई का कार्य करेगी।

स्कूल कॉम्प्लैक्स के द्वारा बेहतर गवर्नेंस :

- DSE स्कूल कॉम्प्लैक्स स्तर पर अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करेगा।
- CEO, DEO और BEO प्राथमिक रूप से हर स्कूल कॉम्प्लैक्स को एक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे।
- कॉम्प्लैक्स उन विकेन्द्रीकृत कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेगा जो पूर्व में DSE के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किये जाते रहे हैं और इस प्रकार अपने सम्बद्ध स्कूलों के साथ कार्य करेगा।
- DSE द्वारा स्कूल कॉम्प्लैक्स को स्वायत्तता होगी, जिससे वह नैशलन करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क (SCF) के दायरे में रहते हुए, समन्वित शिक्षा प्रदान करने और पाठ्यचर्या, शिक्षा–शास्त्र को लेकर प्रयोग कर सकेंगे।
- इस व्यवस्था के तहत स्कूल सुदृढ़ होंगे, ज़्यादा स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकेंगे और कॉम्प्लैक्स को ज़्यादा रचनात्मक और जवाबदेह बनाने की दिशा में योगदान दे पाएंगे।

योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति को पोषित करना :

- सभी शैक्षिक संस्थानों में नेतृत्व के स्तर पर, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों के लिए, एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति विकसित की जाएगी।
- स्कूल SMCs की भागीदारी से अपने अपने स्कूल की विकास योजनाएं (SDPs) बनायेंगे। ये योजनाएं स्कूल कॉम्प्लैक्स विकास योजना (SCDPs) बनाने का आधार बनेंगी। SCDP में स्कूल कॉम्प्लैक्स से सम्बद्ध दूसरे संस्थानों, जैसे व्यावसायकि शिक्षा संस्थान आदि, की योजनाएं भी शामिल होंगी। यह SCDP स्कूल कॉम्प्लैक्स के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों द्वारा SCDC की भागीदारी से बनाया जायेगी।

- योजना में मानव संसाधन, पठन–पाठन सामग्री, आधारभूत ढ़ांचे से सम्बद्ध और अन्य भौतिक संसाधन, सुधार हेतु किये जाने वाले प्रयास, वित्तीय संसाधन ओर शैक्षणिक उपलब्धियॉ शामिल होंगे।
- सुधार हेतु लिए जाने प्रयासों में स्कूलों के अधिगम स्तर सुधार हेतु शिक्षण पद्धतियों और स्कूली संस्कृति में आवश्यक बदलाव के लिए किये जाने वाले प्रयास सहित एक व्यापक और समन्वित शैक्षणिक योजनाशामिल होंगे। इसमें TDP भी शामिल होगा जिसमें स्कूल कॉम्प्लैक्स के समस्त विद्यार्थियों और शिक्षकों के जीवंत समुदाय बनाने की दिशा में लिए जाने वाले प्रयासों का विस्तृत वितरण होगा।
- SDP और SCDP वे प्राथमिक माध्यम होंगे जो DSE मे स्कूल के सभी हितधारकों को एक सूत्र में बाँधने का और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का काम करेंगे।
- SDP और SCDP को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।
- SMC और SCMCस्कूलों के कार्य और दिशा पर नज़र रखने के लिए SDP और SCDP का उपयोग करेंगे। वे इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मददगार होंगे।
- DSE अपने उपयुक्त अधिकारी, जैसे कि BEO के माध्यम से हर स्कूल काम्प्लैक्स के SCDP को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- तत्पश्चात SCDOs के अल्पावधि (एक–वर्षीय) और दीर्घावधि (03 से 5 वर्ष) लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधन (वित्तीय, मानव और भौतिक आदि) प्रदान किये जायेंगे।
- अपेक्षित शैक्षिणिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए दूसरी ज़रूरी सहायता भी स्कूल कॉम्प्लैक्स को उपलब्ध करायी जाएगी।
- DSE और SCERT द्वारा स्कूलों के लिए SDP और SCDP विकसित करने हेतु विशिष्ट मानदंड (वित्तीय स्टाफ और प्रक्रिया सम्बन्धी) और रूपरेखा (फ्रेमवर्क) दी जा सकती है। इन मानदंड़ों और फ्रेमवर्क में समय–समय पर संशोधन किया जा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी (जिला शिक्षा समिति) –हर जिले में एक DEC/ZSS होगी जो जिले की स्कूली शिक्षा के संचालन पर नज़र रखेगी ओर स्कूल, स्कूल काम्प्लैक्स, SCMCs और SMCs के संचालन एवं सशक्तिकरण के कार्य में मदद देगी। DEC राज्य के दूसरे विभागों, जैसे कि महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करेगी।

DEC की अध्यक्षता जिला–अधिकारी करेंगे, CEO इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। इसमें 15 से 20 सदस्य होंगे जिनमें माता–पिता, शिक्षक, प्रधानाचार्य, सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि और DIET के प्रधानाचार्य शामिल होगे। DEC में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के अलावा शिक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले और उस जिले में सार्वजनिक कार्यों में योगदान की पृष्ठभूमि वाले कम से कम 5 सदस्य होंगे। DEC में सभी BEOs को भी आमंत्रित किया जायेगा।

हर स्तर पर विकास हेतु योजना और समीक्षा–सभी स्तरों पर सम्बंधित शीर्ष संस्थानों द्वारा योजना निर्माण और समीक्षा की मजबूत संस्कृति विकसित की जाएगी। और SDP,SCDP एवं DEDP के आधार पर यह समीक्षाएं होंगी। योजना और समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा के सभी पक्षों को विकास करना होगा।

इन समीक्षाओं का उपयोग स्कूली शिक्षा में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सलाहकारों, स्कूलों और स्कूल कॉम्प्लैक्स आदि सभी के अच्छे प्रयासों ओर योगदानों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भी किया जायेगा। ये समीक्षाएं हर स्तर पर अगले वर्ष की योजना निर्माण प्रक्रिया का भी आधार बनेंगी।

स्कूल काम्प्लैक्स के प्रत्येक स्कूल का प्रभावी गवर्नेंस और प्रबंधन–:स्कूल सामाजिक संस्थान हैं। वे समुदाय और उसके विकास के अभिन्न अंग हैं। स्कूल के सबसे बड़े और नजदीकी हितधारक विद्यार्थियों के माता–पिता हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य, जिला और ग्राम आधारित त्रि–स्तरीय व्यवस्था बनाकर पंचायती राज और अन्य स्थानीय स्वशासन के संस्थानों को सबल बनाया गया है।

किन्तु स्कूल गवर्नेंस के कार्य में SMCs द्वारा अपेक्षित सक्रिय भागीदारी की स्थिति अभी वास्तविकता नहीं बन पाई है। इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें माता–पिता में जागरूकता की कमी, दैनिक मजदूरी पर आश्रित माता–पिता का SMC की बैठकों में भाग लेने में असमर्थता, महिलाओं की भागीदारी न हो पाना आदि।

स्कूलों के स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार हेत SMCs को प्रभावी बनाना–: राज्य द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा SMCs के गठन के लिए पूर्व में ही दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं। इसमें स्कूल शिक्षक, माता–पिता, विद्यार्थी और समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। SMCs से जिस भूमिका को निभाने की अपेक्षा है, उस भाव से इनका गठन किया जायेगा और बेहतरी हेतु कदम उठाये जायेंगे। स्कूल कॉम्पलैक्स में समुदायिक सहभागिता वाला मॉडल लागू किया जायेगा।

समुदायिक सहयोग और निगरानी के माध्यम के रूप में स्कूल प्रबंधन समितियां –:सभी स्कूलों (सरकारी, निजी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर–सहायता प्राप्त) का संचालन SMC द्वारा किया जायेगा जिसका गठन RTE अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अनिवार्य हो गया है। राज्य निम्न दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए SMCs के गठन की समीक्षा कर सकते हैं :–

a) SMCs में 10–12 सदस्य होने चाहिए जिनमें से अधिकांश विद्यार्थियों के माता–पिता विशेषकर माताएं होनी चाहिए। मुख्य अध्यापक के अलावा दो और शिक्षक इसके सदस्य होने चाहिए। अन्य सदस्य हो सकते हैं– एक या अधिक भूतपूर्व छात्र, एक पंचायत सदस्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाले एक स्थानीय व्यक्ति।

b) SMC को एक अध्यक्ष का चुनाव करना होगा जो समिति का संचालन करेगा, बैठकें आयोजित करेगा, बैठकों का एजेंडा तय करेगा, कार्य प्रगति की समीक्षा करेगा और भावी योजना बनाएगा।

c) मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य SMC के प्रति उत्तरदायी होगा। SMC के ऊपर स्कूल गवर्नेंस की निगरानी करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही वह शैक्षणिक परिणामों को लेकर स्कूल और DSE (और उसके पदाधिकारियों से) विचार विमर्श कर सकती है। SMC समुदाय में एक स्वामित्व का भाव विकसित करेगी साथ ही सामाजिक एकता और मिलजुलकर काम करने की भावना को भी पोषित करेगी।

स्कूल प्रबंधन समितियों को प्रभावी ढंग से काम करने हेतु समर्थ बनाना–: SMCs की कार्यप्रणाली को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए सतत रूप से विशेष प्रयास किये जायेंगे।

माह में कम से कम एक बार SMC की बैठक आयोजित की जायेगी। बैठकें सदस्यों के लिए, विशेषकर माता–पिता के लिए सुविधाजनक समय पर की जाएंगी। सभी बैठकों में हुई बातचीत का ब्यौरा रखा जायेगा ओर उसे सार्वजनिक किया जायेगा।

SMCs के लिए क्षमतावर्धन कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जायेंगें। यह कार्यक्रम DSE के द्वारा अपने संकुल ओर ब्लॉक स्तर के संसाधन केन्द्र तथा इस कार्य में अनुभव रखने वाली सिविल सोसाइटी संगठनों की मदद से आयोजित किये जायेंगे।

स्थानीय पंचायत या वार्ड परिषद् यह निगरानी रखेंगी कि उनके अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल की SMCs की बैठकें आयोजित हो रही हैं और वे प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। जिले के शिक्षा प्रशासन को हर SMC के कार्य का आंकलन करना होगा।

शिक्षकों के कार्य निष्पादन का प्रबंधनः–शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों के कार्य निष्पादन के प्रबन्धन में SMC एक मुख्य भूमिका निभाएंगी। वह शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों के मूल्यांकन, जिसमें मासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक मूल्यांकन शामिल है, का अपनी ओर से समय समय पर अवलोकन कर सकेंगे। SMC जिन बातों पर नजदीकी नजर रखेगी, उनमें शामिल हैं शिक्षक किस हद तक अपेक्षित आचार–व्यवहार का पालन करते हैं, जैसे स्कूल में नियमित उपस्थिति, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूली संसाधनों का सदुपयोग और ईमानदारी। यह शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के वार्षिक मूल्यांकन का अभिन्न अंग होगा।

SMC द्वारा शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के आचार–व्यवहार पर प्राप्त टिप्पणी को उनकी वेतनवृद्वि और पदोन्नति का आधार बनाया जा सकेगा।

स्कूल प्रबन्धन समिति से सम्बन्धित मामलों और शिकायतों का निपटाराः– SMCs के पास यह अधिकार होगा कि वह स्कूल की ओर से स्कूली मामलों में राज्य और उसके निकायों के साथ हस्तक्षेप कर सके। SMC सम्बन्धित मुदों और शिकायतों के निपटारे को सुगम बनाने के लिए एक IT आधारित शिकायत दर्ज करने की प्रणाली विकसित की जाएगी।

स्थानीय पंचायत/वार्ड परिषद् SMC की ओर से DSE, जिला परिषद्, जिला अधिकारी और स्थानीय विधायक से मामलों का फॉलो–अप, समर्थन और पैरवी करेगी जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी स्कूलों में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता शामिल है। BEOs और DEOs के कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन में उनके क्षेत्र की SMCs और SCMCs से व्यवस्थित फीडबैक भी लिया जायेगा।

स्कूल नेतृत्वः– मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य स्कूल का कार्यकारी प्रधान होगा और उस पर स्कूल के समस्त अकादमिक और प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी का अधिकार होगा। वह DSE द्वारा तय मानदंडों और SDP में दिए विस्तृत विवरण के आधार पर शैक्षणिक परिणामों के लिए और स्कूल संचालन की सुचिता बनाये रखने लिए SMC के प्रति जवाबदेह होगा। स्कूल नेतृत्व का चयन DSE या उपयुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यह चयन वरिष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर होगा जिसे कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर जांचा जायेगा।

स्कूल कॉम्पलेक्स द्वारा घोषित एक रूपरेखा के आधार पर स्वायत्तता और वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार देकर स्कूल प्रधानाचार्यों की भूमिका को सशक्त बनाया जा सकेगा। वित्तीय प्रवाह और निर्णयों पर स्कूल कॉम्पलेक्स के मुखिया की निगरानी के अलावा SMC के द्वारा भी समीक्षा की जाएगी।

एक टीम के रूप में स्कूल का प्रबन्धनः– शिक्षकों और प्रधानाचार्यों पर अपने संस्थानों को श्रेष्ठता की और ले जाने के लिए माता–पिता और समुदाय के सदस्यों को साथ लेते हुए एक टीम के रूप में काम करने की जिम्मेदारी बनी रहेगी। यह टीम विद्यार्थियों के शिक्षण के अलावा उनकी देखभाल और खुशहाली के लिए भी जिम्मेदार होगी।

मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य के नेतृत्व में शिक्षकों की टीम, अपने जैसे ही कॉम्पलेक्स के दूसरे स्कूल की टीम के साथ साझेदारी में, परस्पर सहभागिता द्वारा स्कूल का प्रबंधन करेंगे। यह टीम अल्पावधि (एक–वर्षीय या उससे कम समय वाले) और दीर्घावधि (3 से 5 वर्ष) के लिए स्पष्ट पाठ्यचर्या, अधिगम और प्रशासकीय लक्ष्य निर्धारित करेगी। इन लक्ष्यों पर DSE, SCMC और स्थानीय SMC से भी सहमति ली जाएगी। इनमें विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार और कुल मिलाकर स्कूली गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्यों के साथ सभी के लिए बुनियादी साक्षरता और कक्षा 12 तक उम्र अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने सम्बन्धी लक्ष्य भी होंगे। नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट को समाप्त करने और सभी बच्चों को कक्षा 12 तक स्कूल में बनाये रखने सम्बन्धी लक्ष्य भी होंगे। इन सभी मुद्दों को SDP में जगह दी जानी चाहिए।

इस टीम के पास SDP के क्रियान्वयन और लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निर्णय लेने की स्वायत्तता होगी, SMC इस कार्य में सहयोग और निगरानी दोनों भूमिका निभाएंगी।